## न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

## पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 9/2025

जीसीएमएस नम्बर :: 2025/56

**अपीलाण्ट्स :–** **बनाम**

1. विजयसिंह पुत्र लालसिंह जाति पुरोहित निवासी बिठू तहसील रोहट जिला पाली (राज.)
2. उगीया कंवर पुत्री लालसिंह पत्नी चून्नीलाल जाति पुरोहित निवासी चांचोड़ी तहसील रानी जिला पाली (राज.)
3. देवी कंवर पुत्री लालसिंह पत्नी नागसिंह, जाति पुरोहित निवासी भासुंदा तहसील रानी जिला पाली (राज.)
4. प्यारी कंवर पुत्री लालसिंह पत्नी पुकसिंह, जाति पुरोहित, निवासी मणियारी तहसील पाली जिला पाली (राज.)
5. शान्ति कंवर पुत्री लालसिंह पत्नी रूपसिंह, जाति पुरोहित निवासी भासुंदा, तहसील रानी जिला पाली (राज.)
6. सोनी कंवर पुत्री लालसिंह पत्नी देवीसिंह, जाति पुरोहित, निवासी गुरलाई, तहसील पाली जिला पाली (राज.)

**रेस्पोडेण्ट्स :–**

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट
2. गणपतसिंह पुत्र पुनमसिंह, जाति पुरोहित, निवासी बिठू, तहसील रोहट जिला पाली (राज.)
3. शायरी कंवर पत्नी पुनमसिंह जाति पुरोहित निवासी बिठू तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

जिला कलेक्टर, पाली

**<u>राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956</u>**

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सोहनलाल सेन

सरकारी पैरोकार

**–:: निर्णय ::–**

**दिनांक :– 25.02.2026**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के विरूद्ध तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 978 दिनांक 12.12.2001 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता श्री सोहनलाल सेन वक्त बहस उपस्थित हुए। सरकारी पैरोकार उपस्थित। रेस्पो. संख्या 02 व रेस्पो. संख्या 03 के नाम जारी सम्मन तामील होने के बावजूद वक्त बहस बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर न्यायालय में वकालतन/असालतन अनुपस्थित आये। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि सरहद मौजा बिठू पटवार हल्का बिठू भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिठू तहसील रोहट जिला पाली की सरहद में खसरा संख्या 477 रकबा 2.1286 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम एवं खसरा संख्या 477/2 रकबा 2.8166 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि गेना वल्द जावतींग कौम पुरोहित के नाम खातेदारी दर्ज थी। अपीलार्थीगण स्वर्गीय लालसिंह के जायन्दा पुत्र एवं पुत्रीयां तथा पौत्र एवं पौत्रवधु है। अपीलार्थीगण के पिता/दादा स्वर्गीय श्री लालसिंह के देहान्त सन् 2001 में हो गया था। स्व. श्री लालसिंह जी के देहान्त के वक्त उनके विधिक वारिसान उनके पुत्र/पुत्रीयां अपीलाण्ट्स ही थे एवं है। तत्कालीन हल्का पटवारी ने विरासत का अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय लालसिंह के विधिक उत्तराधिकारी के सही नाम की जांच किये बिना तथा न ही कोई विधिक नोटिस दिया तथा न ही कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का समय दिये बिना जैर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया और उसमें अपीलाण्ट संख्या 01 विजयसिंह का नाम विंजराजसिंह दर्ज कर जैर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। जिससे उक्त नामान्तरकरण इस नाम की हद तक काबिले खारिज है। अतः जैर अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त फरमावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

बहस सुनी गई। श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा पेश किये गये अपील मीमो व अपने साक्ष्य से यह कथन कि अपीलाण्ट संख्या 01 का वास्तविक नाम विजयसिंह है जबकि त्रुटिपूर्वक उसका नाम विंजराज सिंह दर्ज कर दिया गया। इसलिए जैर नामान्तरकरण भरते समय त्रुटिपूर्वक दर्ज किये गये उक्त नाम का संशोधन किया जाये। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य व रेस्पो. के जवाब से उक्त तथ्य प्रथम–दृष्ट्या उचित प्रतीत होता है। अतएव जैर नामान्तरकरण संख्या 978 दिनांक 12.12.2001 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, रोहट को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते है कि प्रकरण में स्थानीय निकाय एवं विधिवत उचित जांच कर यह सुनिश्चित करे कि विजयसिंह एवं विंजराजसिंह एक ही व्यक्ति है एवं तद्नुसार उचित जांच कर सभी पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जावे। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.03.2026 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक **25.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
**जिला कलेक्टर, पाली**